Fax/Email

महत्वपूर्ण

संख्या–697/छः–पु0–9–16–31(16)/2016

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल,2016

विषयः **मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन एवं योजित होने वाले अभियोगों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 07.01.2016 को मा0 न्यायमूर्ति श्री सुधीर सक्सेना की अध्यक्षता में सम्पन्न गोष्ठी में मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन एवं योजित होने वाले वादों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा के दौरान निम्न विषयों पर कतिपय निर्णय लिये गये–

(क)– **मालखानों का रखरखाव एवं मालों का निस्तारण, न्यायालय में मालों का प्रस्तुतीकरण।**

(ख) **विवेचकों की न्यायालय में उपस्थिति, धारा 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही।**

(ग) **धारा 299 के सम्बन्ध में कार्यवाही।**

3– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः–

(1) पुलिस कर्मियों को पी0एन0ओ0 नम्बर आवंटित किया गया है किन्तु उनकी वर्तमान तैनाती के सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण उन्हें साक्ष्य हेतु बुलाये जाने के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में किया जाय, जो पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो, जिससे आवश्यकतानुसार उनकी वर्तमान तैनाती ज्ञातकर उन्हें बुलाकर उनका साक्ष्य अंकित कराया जा सके।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर आख्या मांगे जाने पर संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक समय से न्यायालय में आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 6 के सभी प्रस्तरों के निर्गत किये जाने के पश्चात पूर्ण विश्वास हो जाने पर कि अभियुक्त उपस्थित नहीं हो सकेगा,दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 299 के तहत साक्षियों के बयान अंकित कराकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174ए के अन्तर्गत वाद पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे तथा स्थायी वारण्ट पर यथासम्भव अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये।

–2/––

4– मालखानों का रखरखाव एवं मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह(एच0जे0एस0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(2) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) समस्त जोनल, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ)।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
(10) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मणि प्रसांद मिश्र)
सचिव।